

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

मांग संख्या 74

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	68513.99	68513.99	42.00	43716.85	43758.85	10.00	97022.60	97032.60	42.00	65145.41	65187.41	
पूँजी	...	1585.74	1585.74	1.00	...	1.00	...	481.50	481.50	1.00	...	1.00	
जोड़	...	<b>70099.73</b>	<b>70099.73</b>	<b>43.00</b>	<b>43716.85</b>	<b>43759.85</b>	<b>10.00</b>	<b>97504.10</b>	<b>97514.10</b>	<b>43.00</b>	<b>65145.41</b>	<b>65188.41</b>	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	20.91	20.91	...	21.79	21.79	...	21.18	21.18	...	22.81	22.81
2. प्रशासित मूल्य तंत्र पश्च सन्धि और अन्य व्यय													
2.01 सा.वि.प्र. के लिए एलपीजी और केरोसिन पर सन्धि	2802	...	2999.61	2999.61	...	3050.00	3050.00	...	2730.00	2730.00	...	2580.00	2580.00
2.02 भाड़ा संबंधी सन्धि	2802	...	23.39	23.39	...	26.00	26.00	...	23.00	23.00	...	21.00	21.00
2.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता	2802	...	458.00	458.00	...	504.00	504.00	...	626.87	626.87	...	625.00	625.00
जोड़- प्रशासित मूल्य तंत्र पश्च सन्धि और अन्य व्यय		...	3481.00	3481.00	...	3580.00	3580.00	...	3379.87	3379.87	...	3226.00	3226.00
3. पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड	2802	...	7.60	7.60	...	13.14	13.14	...	9.82	9.82	...	10.86	10.86
4. पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसाइटी	2802	...	1.47	1.47	...	1.92	1.92	...	1.73	1.73	...	1.74	1.74
5. संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम हुई वसूलियों के लिए तेल कंपनियों की क्षतिपूर्ति													
5.01 संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम हुई वसूलियों के लिए तेल कंपनियों की क्षतिपूर्ति	2802	...	65003.01	65003.01	...	40000.00	40000.00	...	93500.00	93500.00	...	61772.00	61772.00
5.02 एलपीजी योजना के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु ओएमसी को भुगतान	2802	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
5.03 एलपीजी योजना के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय हेतु ओएमसी को भुगतान	2802	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
जोड़- संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम हुई वसूलियों के लिए तेल कंपनियों की क्षतिपूर्ति		...	65003.01	65003.01	...	40000.00	40000.00	...	93500.00	93500.00	...	61774.00	61774.00
6. पीडीएस के लिए प्रोत्साहन योजना													
6.01 सा.वि.प्र. के लिए सन्धि के सीधे	2802	...	...	...	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अंतरण हेतु प्रोत्साहन योजना													
6.02 पीडीएस में मिट्टी के तेल के लाभार्थियों के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण का संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य को सहायता अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	
6.03 पीडीएस में मिट्टी के तेल के लाभार्थियों के लिए नगदी इमदाद के प्रत्यक्ष अंतरण का संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3602	...	...	...	...	...	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	
जोड़- पीडीएस के लिए प्रोत्साहन योजना	...	...	...	...	100.00	100.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	
7. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपी-टी)	2802	...	...	...	41.00	...	41.00	10.00	...	10.00	41.00	41.00	
8. राजीव ग्रामीण युवा एलपीजी वितरक योजना (आरजीवाईएलवीवाई)	2802	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	1.00	
9. महत्वपूर्ण कच्चे तेल आरक्षण के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	4802	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	1.00	
10. सरकारी उद्यमों में निवेश													
10.01 तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लि. द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम	4802	...	1585.74	1585.74	...	...	...	...	...	...	...	...	
10.02 भारत पेट्रोलियम निगम लि. द्वारा बोनस शेयर का निर्गम	4802	...	...	...	...	...	...	198.60	198.60	...	...	...	
10.03 आयल इंडिया लि. द्वारा बोनस शेयर का निर्गम	4802	...	...	...	...	...	...	282.90	282.90	...	...	...	
जोड़- सरकारी उद्यमों में निवेश	...	1585.74	1585.74	...	...	...	...	481.50	481.50	...	...	...	
<b>कुल जोड़</b>	...	<b>70099.73</b>	<b>70099.73</b>	<b>43.00</b>	<b>43716.85</b>	<b>43759.85</b>	<b>10.00</b>	<b>97504.10</b>	<b>97514.10</b>	<b>43.00</b>	<b>65145.41</b>	<b>65188.41</b>	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
अन्वेषण एवं उत्पादन													
10.01 तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लि.	12802	...	29246.55	29246.55	...	33065.31	33065.31	...	33577.00	33577.00	...	35049.23	35049.23
10.02 भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	12802	...	5409.38	5409.38	...	5866.77	5866.77	...	4128.77	4128.77	...	4376.50	4376.50
10.03 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	12802	...	106.99	106.99	...	300.00	300.00	...	158.00	158.00	...	346.00	346.00
10.04 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	12802	...	842.55	842.55	...	1157.00	1157.00	...	2000.00	2000.00	...	1226.42	1226.42

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
10.05	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	12802	...	371.91	371.91	...	650.00	650.00	...	559.57	559.57	...	689.00	689.00
10.06	आयल इंडिया लि.	12802	...	1742.76	1742.76	...	3378.29	3378.29	...	3069.52	3069.52	...	3580.99	3580.99
10.07	तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन विदेश लि.	12802	...	7999.55	7999.55	...	7909.90	7909.90	...	13140.00	13140.00	...	9491.88	9491.88
<b>जोड़-अन्वेषण एवं उत्पादन</b>		...		<b>45719.69</b>	<b>45719.69</b>	...	<b>52327.27</b>	<b>52327.27</b>	...	<b>56632.86</b>	<b>56632.86</b>	...	<b>54760.02</b>	<b>54760.02</b>
<i>परिशोधन एवं विपणन क्षेत्र</i>														
10.08	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	12802	...	7225.15	7225.15	...	8900.00	8900.00	...	9047.03	9047.03	...	9434.00	9434.00
10.09	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12802	...	2477.89	2477.89	...	3156.93	3156.93	...	3191.00	3191.00	...	3724.84	3724.84
10.10	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12802	...	723.42	723.42	...	3322.00	3322.00	...	1546.00	1546.00	...	3521.32	3521.32
10.11	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12802	...	490.18	490.18	...	785.68	785.68	...	279.38	279.38	...	299.27	299.27
10.12	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	12802	...	35.12	35.12	...	249.00	249.00	...	202.00	202.00	...	368.88	368.88
10.13	मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	12802	...	3519.98	3519.98	...	3813.00	3813.00	...	2347.47	2347.47	...	2347.47	2347.47
<b>जोड़-परिशोधन एवं विपणन क्षेत्र</b>		...		<b>14471.74</b>	<b>14471.74</b>	...	<b>20226.61</b>	<b>20226.61</b>	...	<b>16612.88</b>	<b>16612.88</b>	...	<b>19695.78</b>	<b>19695.78</b>
<i>पैट्रो-रसायन क्षेत्र</i>														
10.14	इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	12856	...	2233.96	2233.96	...	450.00	450.00	...	393.40	393.40	...	1153.76	1153.76
10.15	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	12856	...	...	...	...	10.50	10.50	...	5.00	5.00	...	10.60	10.60
10.16	भारत गैस प्राधिकरण लि.	12856	...	1343.46	1343.46	...	3580.50	3580.50	...	2610.00	2610.00	...	3135.00	3135.00
10.17	मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	12856	...	395.44	395.44	...	3004.00	3004.00	...	500.00	500.00	...	177.01	177.01
10.18	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	12856	...	48.75	48.75	...	23.00	23.00	...	23.00	23.00	...	...	...
<b>जोड़-पैट्रो-रसायन क्षेत्र</b>		...		<b>4021.61</b>	<b>4021.61</b>	...	<b>7068.00</b>	<b>7068.00</b>	...	<b>3531.40</b>	<b>3531.40</b>	...	<b>4476.37</b>	<b>4476.37</b>
<i>इंजीनियरी क्षेत्र</i>														
10.19	बामर लारी एंड कंपनी लि.	12858	...	32.61	32.61	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	70.00	70.00
10.20	बीको लारी लि.	12858	...	...	...	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	7.00	7.00
<b>जोड़-इंजीनियरी क्षेत्र</b>		...		<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	...	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	...	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	...	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>
<b>जोड़</b>		...		<b>64245.65</b>	<b>64245.65</b>	...	<b>79684.88</b>	<b>79684.88</b>	...	<b>76840.14</b>	<b>76840.14</b>	...	<b>79009.17</b>	<b>79009.17</b>
<b>ग. योजना परिव्यय</b>														
1.	पेट्रोलियम	12802	...	60191.43	60191.43	43.00	72553.88	72596.88	10.00	73245.74	73255.74	43.00	74455.80	74498.80
2.	पेट्रोरसायन उद्योग	12856	...	4021.61	4021.61	...	7068.00	7068.00	...	3531.40	3531.40	...	4476.37	4476.37
3.	इंजीनियरी उद्योग	12858	...	32.61	32.61	...	63.00	63.00	...	63.00	63.00	...	77.00	77.00
<b>जोड़</b>		...		<b>64245.65</b>	<b>64245.65</b>	<b>43.00</b>	<b>79684.88</b>	<b>79727.88</b>	<b>10.00</b>	<b>76840.14</b>	<b>76850.14</b>	<b>43.00</b>	<b>79009.17</b>	<b>79052.17</b>

1. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 2.01. **घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता:** घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता के कारण तेल विपणन कंपनियों को भुगतान के लिए प्रावधान।
- 2.02. **दूरदराज के क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा राजसहायता:** अन्य क्षेत्रों के समान मूल्यों पर दूरस्थ क्षेत्रों के लिए घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल पर भाड़ा राजसहायता के कारण तेल विपणन कंपनियों को भुगतान के लिए प्रावधान।
- 2.03. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए कंपनियों को राजसहायता:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पित ईंधन के रूप में गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश के शेष भागों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य के 60% मूल्य पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए राजसहायता के कारण तेल विपणन कंपनियों को भुगतान के लिए प्रावधान।
3. **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड:** सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 को दिनांक 3.4.2006 को अधिसूचित किया गया था और इसलिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़ कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए बोर्ड स्थापित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लगी कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सके और देश के सभी हिस्सों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की अबाधित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों और उनसे जुड़े मामलों अथवा अनुषंगी मामलों को प्रोत्त किया जा सके।
4. **पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसाइटी:** यह प्रावधान पेट्रोलियम प्रयोगशाला समिति के लिए है। ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल) एक स्वतंत्र प्रयोगशाला है जो पेट्रोलियम प्रयोगशाला समिति (एसएफपीएल) के नाम से समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। नोएडा में इस प्रयोगशाला को स्थापित करने का मूल उद्देश्य परिवहन ईंधनों की गुणवत्ता पर निगरानी रखना है। इस प्रयोगशाला का प्रचालन और प्रबंध आईआईपी, देहरादून और सीएसआईआर द्वारा एसएफपीएल के साथ हुए दीर्घावधि समझौता ज्ञापन के तहत किया जाता है।
5. **संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण होने वाली अल्प-वसूलियों के लिए तेल कंपनियों को मुआवजा:** संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण होने वाली अल्प-वसूलियों के लिए तेल कंपनियों को मुआवजा
  - 5.01. **संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण होने वाली अल्प-वसूलियों के लिए तेल कंपनियों को मुआवजा:** वर्तमान स्थिति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के पूरे प्रभाव से और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के उद्देश्य से सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है और उनके मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम होते हैं जिसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों पर अल्प

वसूलियों का भार पड़ता है। इन अल्प वसूलियों की प्रतिपूर्ति सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत की जा रही है।

- 5.02. **एलपीजी की नकद राजसहायता का सीधा अंतरण योजना के लिए ओएमसीज को भुगतान।** एलपीजी की नकद राजसहायता का सीधा अंतरण योजना के लिए ओएमसीज को भुगतान।
- 5.03. **एलपीजी की नकद राजसहायता का सीधा अंतरण योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय हेतु ओएमसीज को भुगतान।** एलपीजी की नकद राजसहायता का सीधा अंतरण योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय हेतु ओएमसीज को भुगतान।
6. **पीडीएस मिट्टी तेल के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु प्रोत्साहन योजना::** पीडीएस मिट्टी तेल के लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता अंतरित करने के लिए आगे आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकमुश्त एक बारगी अनुदान की व्यवस्था।
  - 6.01. **पीडीएस मिट्टी तेल हेतु नकद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए प्रोत्साहन योजना:** पीडीएस मिट्टी तेल हेतु नकद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए प्रोत्साहन योजना
  - 6.02. **पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान।** पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान।
  - 6.03. **पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान।** पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद राजसहायता के सीधे अंतरण हेतु संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान।
7. **राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान:** राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जायस, रायबरेली में, भारत में और वैश्विक रूप से पेट्रोलियम उद्योग के सभी क्षेत्रों की शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र में एक उत्कृष्ट संस्थान का सृजन करने के उद्देश्य से की गई है।
8. **राजीव ग्रामीण युवा एलपीजी वितरण योजना(आरजीवाईएलवीवाई):** उन 70 लाख बीपीएल परिवारों, जिनके पास एसेकेओ राशन कार्ड है किन्तु जो वर्तमान में एलपीजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, को शामिल करने का प्रस्ताव करते हुए सिलेंडर और रेग्युलेटर हेतु जमानत राशि के लिए बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1400/-रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए एक योजनागत योजना तैयार की गई है।
9. **इंडियन स्ट्रेटीजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) ::** भारत की तेल सुरक्षा की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए, आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापट्टनम, मंगलोर और पाडूर में भूमिगत शैल कन्दराओं में 5.33 मि.मी.ट.

क्षमता के कच्चे तेल के कार्यनीतिक भंडार स्थापित किए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम पर इस सुविधा के मार्च 2013 तक, मंगलौर में वर्ष 2013 के अंत तक और पाटूर में वर्ष 2014 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

10.01. **ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड:** आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की स्थापना देश के तटीय और अपतटीय, दोनों क्षेत्रों में, पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के आयोजना और क्रियान्वयन कार्यक्रमों के उद्देश्य से की गई थी। ओएनजीसी तेल और गैस उत्पादन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है। परिव्यय में सर्वेक्षणों, अन्वेषण और विकास वेधन, पूंजीगत परियोजनाओं और खरीदों, अनुसंधान और विकास, जेवीसी घरेलू और एकीकरण परियोजनाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

10.02. **गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(गेल):** गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(गेल) की स्थापना प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन की जरूरत पूरी करने के लिए की गई थी। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में नई पाइपलाइनें – परियोजना विकास, दाहेज-विजयपुर चरण-2 पाइपलाइन परियोजना शामिल हैं।

10.03. **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड:** कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल का परिशोधन और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करना है। कंपनी मुंबई रिफाइनरी में एलओवीएस गुणवत्ता उन्नयन परियोजना, रामन मंडी बहादुरगढ़ पाइपलाइन, एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड आदि जैसी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

10.04. **भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड:** कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल का परिशोधन और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और वितरण करना है। कंपनी ने अपनी वार्षिक योजना में मुंबई रिफाइनरी में हाइड्रोक्रैकर के पुनरुद्धार और एक नए कंटीन्युअस कैटालिक रीजेनरेटेड रिफार्मर, क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना चरण-II, रिफाइनरी से उरण को एलपीजी के प्रेषण के लिए पाइपलाइन, नई उत्पाद पाइपलाइन और संबद्ध बुनियादी सुविधाओं, गैस पाइपलाइनों में निवेश, अन्वेषण और उत्पादन आदि के लिए प्रावधान किया है।

10.05. **इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड:** इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड आयातित तथा देशी कच्चे तेल का परिशोधन, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और पाइपलाइनों का प्रचालन करती है। इसकी गुवाहाटी, बरौनी, कोयाली, पानीपत, हल्दिया, मथुरा और डिग्बोई में रिफाइनरियां हैं। परिव्यय में, पारादीप रिफाइनरी परियोजना, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-रांची पाइपलाइन, पानीपत रिफाइनरी अतिरिक्त विस्तार परियोजना, अपशिष्ट उन्नयन और एमएस/एचएसडी गुणवत्ता सुधार परियोजना, गुजरात रिफाइनरी, एमएस गुणवत्ता सुधार परियोजना, बरौनी रिफाइनरी आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

10.06. **ऑयल इंडिया लिमिटेड:** ओआईएल देश और विदेशों में तेल के अन्वेषण और उत्पादन कार्य में लगी हुई है। इसने अपनी वार्षिक योजना में सर्वेक्षण, अन्वेषी वेधन, विकास वेधन, पूंजीगत उपकरण तथा सुविधाओं, एनईएलपी परियोजनाओं, विदेशी उद्यमों के लिए प्रावधान किया है।

10.07. **ओएनजीसी विदेश लिमिटेड:** ओएनजीसी-ओवीएल, ओएनजीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और इसकी विदेश में विकास रकबों के अर्जन द्वारा या विदेश में अन्वेषण उद्यमों के माध्यम से इक्विटी तेल प्राप्त करने की

जिम्मेदारी है। परिव्यय में, वियतनाम, रूस, सूडान, कोलंबिया, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, क्यूबा, ब्राजील, मिश्र आइवरी कोस्ट, वेनेजुएला, नाइजीरिया आदि में परिसंपत्तियों में किया जाने वाला निवेश शामिल है।

10.11. **चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड:** कंपनी की स्थापना कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। कंपनी की क्रियान्वयनाधीन बड़ी परियोजनाओं में यूरो-IV विनिर्देशों को पूरा करने के लिए सीडीयू/वीडीयू का पुनरुद्धार, आटो ईंधन परियोजना, अपशिष्ट उन्नयन परियोजना, आदि शामिल हैं।

10.12. **नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड:** यह आईवीपी कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा असम सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। सिलीगुड़ी में विपणन टर्मिनल, मोम परियोजना (लाइन एंटी), ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पालीमर लिमिटेड के लिए वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया है।

10.13. **मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड:** यह ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी है। रिफाइनरी उन्नयन-सह-विस्तार चरण-II, मंगलौर तट पर एसपीएम सुविधा आदि हेतु वार्षिक योजना में प्रावधान किया गया है।

10.19. **बामर लारी लिमिटेड:** कंपनी स्नेहक ग्रीसों तथा ल्यूब बैरलों के निर्माण, चाय के निर्यात, उत्पादों के विपणन और यात्रा तथा संभारतंत्र के कारोबार में लगी हुई है। वार्षिक योजना में निर्यात/आयात के लिए बुनियादी सुविधाओं/कंटेनर भाड़ा स्टेशनों, ल्यूब शोधन/मिश्रण योजना और औद्योगिक स्नेहक/ग्रीसों के लिए प्रावधान किया गया है।

10.20. **बीको लारी लिमिटेड:** कंपनी का मुख्य कार्य बिजली के स्वचालित यंत्रों का निर्माण करना है।